क्रम-संख्या–61

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013

चैत्र 7, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 375/79-वि-1–13-1(क)-6-2013

लखनऊ, 28 मार्च, 2013

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2013]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 14 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा 14 में, खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(ञ) मन्दिर के चढ़ावे में प्राप्त बेलपत्र आदि से बने भस्म श्रद्धालुओं में निःशुल्क वितरित करें;

(ट) वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध करे, शोध से सम्बन्धित सुअवसर प्रदान करे, निःशुल्क शोध केन्द्र स्थापित करे, निःशुल्क शिक्षण कक्षाएं आयोजित करे, वैदिक संस्कृति को तकनीकी शिक्षा से समन्वित करने के लिए निःशुल्क तकनीकी शिक्षा स्थापित करे और रोजगार के लिए सुअवसर सुलभ कराये, समान उद्देशीय संगठनों की सहायता से समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करे, एवं वैदिक संस्कृति की शिक्षा हेतु विद्यालय खोले;

(ठ) निर्धन, निर्बल तथा असहाय श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र खोले और उसकी व्यवस्था करे;

(ड) श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क अन्नक्षेत्र की सुविधा सुलभ कराए;

(ढ) श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं खोले एवं निःशुल्क उपलब्ध कराये और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करे तथा वैदिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शोध केन्द्रों की भी स्थापना करे;

(ण) श्रद्धालुओं में निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था करे, चढ़ावे में प्राप्त वस्त्रादि एवं अन्य सामग्री को निर्धन और असहाय लोगों में वितरित करे;

(त) न्यास और समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं बैठकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनजागरण हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं निःशुल्क वितरण करे;

(थ) ऐसे सभी अन्य कार्य करे जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यकलापों के कुशल प्रबन्धन और तीर्थयात्रियों और पुजारियों की सुविधा के लिए आनुषंगिक और सहायक हों।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983) का अधिनियमन श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 में न्यास परिषद् के कर्तव्यों का प्रावधान है जो मन्दिर के विन्यास का प्रबन्ध करती है और तीर्थ यात्रियों तथा पूजा करने वालों को उन्नत सुविधायें प्रदान करती है और उनसे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करती है। मन्दिर के लिये दान और उसके विकास के प्रति अधिकाधिक लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 को संशोधित करके न्यास परिषद् के कर्तव्यों में कतिपय लोक कल्याणकारी कार्यक्रम यथा वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध कार्य और तकनीकी शिक्षा को समन्वित कर रोजगार का सृजन करने, निःशुल्क शिक्षण कक्षायें चलाने, निर्बल-निर्धन तथा असहाय जनों को निःशुल्क भोजन की सुविधायें उपलब्ध कराने, निःशुल्क प्रसाद, वस्त्रादि एवं पत्रिकाओं का वितरण आदि जैसे विषय सम्मिलित कर लिये जायें।

तदनुसार उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 प्रस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 375(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)6-2013

Dated Lucknow, March 28, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Mandir (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013:

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 12 OF 2013)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 2013. Short title

2. In section 14 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 *for* clause (j) the following clauses shall be *substituted*, namely:– Amendment of section 14 of U.P. Act no. 29 of 1983

(j) to distribute free of cost **Bhasm** made out of Belpatra etc. received in temples' offerings among devotees;

(k) to do research related to Vedic Culture, to provide opportunities related to research, to setup cost free research centers, to organize free of cost education classes, to establish cost free technical education for uniting Vedic Culture with technical education and to provide opportunities for employment, to introduce welfare schemes for the society with the help of organizations having similar objectives and to open schools for Vedic Culture's education;

(l) to open and organize free of cost medical centres for poor, weak and helpless devotees;

(m) to provide free of cost facilities of Annakshetrum for devotees;

(n) to open and provide free of cost lodging place for devotees, arrange free of cost stay and also to setup research centers relating to Vedic Culture and technical education;

(o) to arrange and distribute free of cost prasadams distribution amongst devotees, to distribute clothes etc. and other ingredients received in offerings among poor and helpless people;

(p) to publish and distribute free of cost magazines for awareness to fulfil the object of the trust and time organize seminars and meetings;

(q) to do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management of the affairs of Temple and its endowments and the convenience of the pilgrims and worshippers.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 (U.P. Act no. 29 of 1983) has been enacted to provide for the proper and better administration of Shri Kashi Vishwanath Temple, Varanasi and its endowment. Section 14 of the said Act provides for the duties of the Board of Trustees which manages Temple's endowment and provide improved facilities and matter's related to Pilgrim's and worshipper's. With a view to inspiring more people towards charity and development of the temple, it has been decided to amend section 14 of said Act to include in the duties of the Board of Trustees some public welfare programmes such as research work related with vedic culture and co-ordination of Technical education in order to create employment, free educational classes, free food facilities for weaker, poor and helpless people, free Prasad, cloths and magazines distribution etc.

The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Second Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 817 राजपत्र–(हिन्दी)–2013–(3613)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 113 सा0 विधायी–2013–(3614)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

\\Data2\d\Vidhaika_2011\817_RPH_2013_Sri Kashi mandir.doc